अध्याय-1

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र) का वित्तीय निष्पादन

अध्याय 1

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र) का वित्तीय निष्पादन

1.1 प्रस्तावना

31 मार्च 2020 को राज्य में विद्युत क्षेत्र के पांच एस.पी.एस.ई. (चार[1] कार्यरत एस.पी.एस.ई. और एक[2] निष्क्रिय एस.पी.एस.ई.) थे। नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत चार कार्यरत एस.पी.एस.ई. में हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (उत्पादन), हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (प्रसारण), उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (वितरण) शामिल हैं। विद्युत क्षेत्र के सभी चार कार्यरत एस.पी.एस.ई. के वित्तीय निष्पादन को इस अध्याय में शामिल किया गया है। वर्ष 2019-20 के लिए विद्युत क्षेत्र के सभी चार कार्यरत एस.पी.एस.ई. के वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप दिया जा चुका है।

विद्युत क्षेत्र के एस.पी.एस.ई. के वित्तीय निष्पादन का सार

एस.पी.एस.ई. की संख्या	4
कवर किए गए एस.पी.एस.ई.	4
प्रदत्त पूंजी	₹ 36,257.75 करोड़
हरियाणा सरकार का इक्विटी निवेश	₹ 35,128.48 करोड़
दीर्घावधि ऋण	₹ 10,275.71 करोड़
निवल लाभ	₹ 640.52 करोड़
लाभांश घोषित	शून्य
कुल संपत्ति	₹ 39,522.35 करोड़
टर्नओवर	₹ 33,262.31 करोड़
निवल मूल्य#	₹ 8,187.36 करोड़

स्रोत: विद्युत क्षेत्र के एस.पी.एस.ई. के वार्षिक वित्तीय विवरणों पर आधारित संकलन।

निवल मूल्य का अर्थ है प्रदत्त पूंजी और आरक्षित एवं अधिशेष घटा संचित हानि और आस्थगित राजस्व व्यय।

विद्युत क्षेत्र के एस.पी.एस.ई. के टर्नओवर का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) से अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में इन एस.पी.एस.ई. की गतिविधियों के योगदान को दर्शाता है। नीचे दी गई तालिका मार्च 2020 को समाप्त होने वाले पांच वर्षों की अवधि के लिए हरियाणा के विद्युत क्षेत्र के एस.पी.एस.ई. और स.रा.घ.उ. के टर्नओवर का विवरण प्रदान करती है।

तालिका 1.1: हरियाणा के स.रा.घ.उ. की तुलना में विद्युत क्षेत्र के एस.पी.एस.ई. के टर्नओवर का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
टर्नओवर	29,475.63	32,169.09	34,370.70	36,818.34	33,262.31
हरियाणा का स.रा.घ.उ.	4,92,656.90	4,34,607.93	6,08,470.73	7,07,126.33	8,31,610.21

[1] हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड।

[2] सौर ऊर्जा निगम हरियाणा लिमिटेड।

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
हरियाणा के स.रा.घ.उ. से टर्नओवर की प्रतिशतता	5.98	7.40	5.65	5.21	4.00

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष-दर-वर्ष तुलना के लिए संबंधित वर्षों (उन्नत अनुमान) की वर्तमान कीमतों पर आपूरित सूचना के अनुसार विद्युत क्षेत्र के एस.पी.एस.ई. के टर्नओवर के आंकड़ों और स.रा.घ.उ. के आंकड़ों पर आधारित संकलन।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, अपर मुख्य सचिव (वित्त) ने बताया (जुलाई 2021) कि हरियाणा के स.रा.घ.उ. में एस.पी.एस.ई. के अंशदान में गिरावट चिंता का विषय था और उन्होंने इच्छा प्रकट की कि एस.पी.एस.ई. इसके कारणों का विश्लेषण करें।

राज्य में बिजली की मांग, उपलब्धता और आपूर्ति की स्थिति

1.1.1 2015-16 से 2019-20 के दौरान बिजली की अधिकतम मांग, इसकी उपलब्धता और राज्य की अपनी बिजली उत्पादन उपयोगिता, हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (एच.पी.जी.सी.एल.) की हिस्सेदारी नीचे तालिका में दी गई है:

तालिका 1.2: एच.पी.जी.सी.एल. द्वारा विद्युत उत्पादन का विवरण

वर्ष	एच.पी.जी.सी.एल. की स्थापित क्षमता (मेगावाट में)	अधिकतम मांग (मेगावाट में)	बिजली की उपलब्धता (मेगावाट में)	अधिकतम मांग से ऊपर जुड़ी अतिरिक्त बिजली की प्रतिशतता	कुल बिजली आपूर्ति (एम.यू. में)	एच.पी.जी.सी.एल. द्वारा आपूरित बिजली (एम.यू. में)	कुल आपूर्ति में एच.पी.जी.सी.एल. की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)
2015-16	2,782.40	9,113	11,294.47	23.94	50,900	9,796	19.25
2016-17	2,792.40	9,262	11,332.42	22.35	51,264	8,885	17.33
2017-18	2,792.40	9,671	11,442.42	18.32	54,735	10,084	18.42
2018-19	2,792.40	10,270	12,181.42	18.61	56,994	9,983	17.52
2019-20	2,582.40[3]	11,030	11,950.70	8.35	55,160	6,766	12.27

स्रोत: केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की लोड जेनरेशन बैलेंस रिपोर्ट, एच.पी.जी.सी.एल. के वार्षिक लेखे और हरियाणा बिजली खरीद केंद्र द्वारा आपूर्ति डाटा।

राज्य ने अपनी अधिकतम मांग से भी अधिक बिजली के लिए बिजली खरीद समझौते किए है, जिससे हरियाणा एक बिजली अधिशेष राज्य बन गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य में कुल बिजली आपूर्ति में एच.पी.जी.सी.एल. का हिस्सा लगातार कम हो रहा है क्योंकि अन्य बिजली उत्पादकों जैसे कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और निजी बिजली उत्पादकों, जिनके साथ राज्य ने बिजली खरीद के लिए करार किया है, की तुलना में इसकी उच्च परिवर्तनीय लागत है।

1.2 विद्युत क्षेत्र एस.पी.एस.ई. में निवेश

31 मार्च 2020 के अंत तक चार विद्युत क्षेत्र एस.पी.एस.ई. में इक्विटी और ऋण में निवेश की राशि तालिका 1.3 में दर्शाई गई है:

[3] थर्मल पावर स्टेशन, पानीपत में यूनिट नंबर V (210 मेगावाट) के बंद होने के कारण स्थापित क्षमता में कमी आई थी।

तालिका 1.3: विद्युत क्षेत्र एस.पी.एस.ई.में इक्विटी निवेश और ऋण

(₹ करोड़ में)

निवेश के स्रोत	31 मार्च 2019 तक			31 मार्च 2020 तक		
	इक्विटी	दीर्घावधि ऋण	कुल	इक्विटी	दीर्घावधि ऋण	कुल
राज्य सरकार	29,303.48	11.36	29,314.84	35,128.48	8.65	35,137.13
राज्य सरकार की कंपनियां/निगम	1,129.27	1,580.97	2,710.24	1,129.27[4]	1,040.07	2,169.34
वित्तीय संस्थान और अन्य	शून्य	9,552.20	9,552.20	शून्य	9,226.99	9,226.99
कुल	**30,432.75**	**11,144.53**	**41,577.28**	**36,257.75**	**10,275.71**	**46,533.46**
कुल निवेश से राज्य सरकार के निवेश की प्रतिशतता	96.29	0.10	70.51	96.89	0.08	75.51

स्रोत: एस.पी.एस.ई. द्वारा अंतिमकृत लेखाओं पर आधारित संकलन।

हरियाणा सरकार वार्षिक बजट के माध्यम से विद्युत क्षेत्र के उद्यमों को विभिन्न रूपों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मार्च 2020 को समाप्त गत तीन वर्षों के लिए विद्युत क्षेत्र के एस.पी.एस.ई. के संबंध में इक्विटी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी, बट्टे खाते में डाले गए ऋण और इक्विटी में परिवर्तित ऋण के लिए बजटीय निर्गम का सारांश निम्नानुसार है:

तालिका 1.4: गत तीन वर्षों के दौरान विद्युत क्षेत्र के एस.पी.एस.ई. को बजटीय सहायता के विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2017-18		2018-19		2019-20	
	एस.पी.एस.ई. की संख्या	राशि	एस.पी.एस.ई. की संख्या	राशि	एस.पी.एस.ई. की संख्या	राशि
इक्विटी पूंजी (i)	4	10,644.44[5]	4	13,302.48[6]	4	5,825.00
दिए गए ऋण (ii)	3	550.70	2	52.84	1	108.74
प्रदान किए गए अनुदान/सब्सिडी[7] (iii)	0	0.00	2	18.56	0	0.00
कुल व्यय (i+ii+iii)		**11,195.14**		**13,373.88**		**5,933.74**
ऋण चुकौती	-	-	4	5,494.92	4	487.41
इक्विटी में परिवर्तित ऋण	-	-	3	5,531.99	3	5,190.00
जारी गारंटी	3	263.18	3	1,120.59	2	1,406.16
गारंटी प्रतिबद्धता	4	4,204.17	3	1,758.09	2	3,803.34

स्रोत: एस.पी.एस.ई. द्वारा अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के आधार पर संकलन।

1.2.1 इक्विटी में निवेश

विद्युत क्षेत्र के चार एस.पी.एस.ई. में इक्विटी के अंकित मूल्य पर कुल निवेश में 2019-20 के दौरान ₹ 5,825 करोड़ की निवल वृद्धि दर्ज की गई। पूरी राशि का योगदान राज्य सरकार द्वारा किया गया था। एस.पी.एस.ई. में इक्विटी के अतिरिक्त निवेश के प्रयोजन की लेखापरीक्षा समीक्षा से पता चला कि ₹ 5,825 करोड़ में से ₹ 5,190 करोड़ उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा बिजली वितरण कंपनियों को दिए गए ऋण के परिवर्तन के कारण था। ऋण का इक्विटी में परिवर्तन इस संबंध में निष्पादित

[4] हरियाणा वित्तीय निगम: ₹ 145 करोड़ और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड: ₹ 984.27 करोड़।

[5] इसमें वर्ष 2017-18 के लिए उदय योजना के अंतर्गत प्राप्त इक्विटी अर्थात ₹ 5,190 करोड़ शामिल हैं।

[6] इसमें ₹ 7,785 करोड़ का अनुदान भी शामिल है जिसे वर्ष 2018-19 के दौरान इक्विटी में परिवर्तित किया गया था।

[7] इसमें 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान राज्य सरकार से प्राप्त क्रमशः ₹ 4,864 करोड़, ₹ 7,351.72 करोड़ और ₹ 6,991.25 करोड़ की आर.ई. सब्सिडी शामिल नहीं है।

त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन की भावना के विरुद्ध था, क्योंकि वर्ष के दौरान देय 75 प्रतिशत राशि को अनुदान में और 25 प्रतिशत राशि को इक्विटी[8] में परिवर्तित करने के बजाय संपूर्ण राशि को इक्विटी में परिवर्तित कर दिया गया था। राज्य के वित्त पर इसका प्रभाव यह होता है कि पूंजीगत व्यय का अधिक विवरण होता है और परिणामस्वरूप राजस्व व्यय का कम विवरण होता है। इसके परिणामस्वरूप राज्य के राजस्व घाटे को भी कम बताया गया।

इन विद्युत क्षेत्र के उद्यमों में 31 मार्च 2020 तक गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकार और अन्य द्वारा इक्विटी में निवेश को नीचे चार्ट 1.1 में दर्शाया गया है;

चार्ट 1.1: विद्युत क्षेत्र के एस.पी.एस.ई. में इक्विटी में निवेश

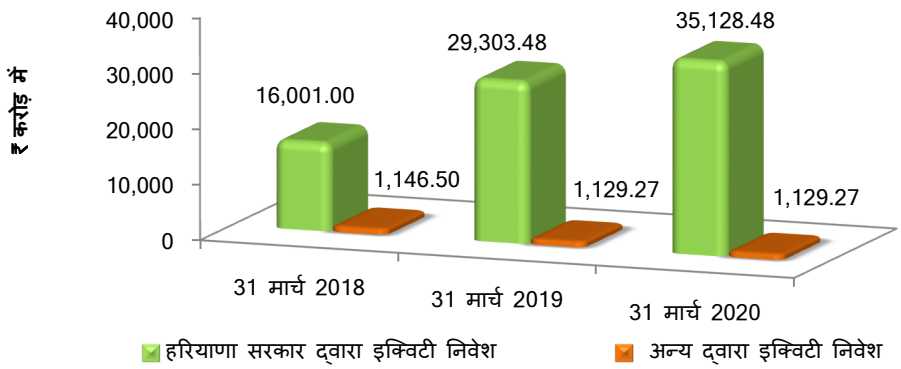

1.2.2 विद्युत क्षेत्र एस.पी.एस.ई. को दिए गए ऋण

1.2.2.1 31 मार्च 2020 तक बकाया दीर्घावधि ऋणों का परिकलन

31 मार्च 2020 तक सभी स्रोतों से चार विद्युत क्षेत्र एस.पी.एस.ई. में बकाया कुल दीर्घावधि ऋण ₹ 10,275.71 करोड़ था। 31 मार्च 2020 तक इन एस.पी.एस.ई. के दीर्घावधि ऋणों में 31 मार्च 2019 की तुलना में ₹ 868.82 करोड़ की कमी दर्ज की गई। 31 मार्च 2020 तक बकाया कुल ऋणों में से राज्य सरकार से केवल ₹ 8.65 करोड़ (0.08 प्रतिशत) के ऋण थे। विद्युत क्षेत्र एस.पी.एस.ई. के बकाया दीर्घावधि ऋणों का वर्षवार विवरण चार्ट 1.2 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.2: विद्युत क्षेत्र एस.पी.एस.ई. में बकाया दीर्घावधि ऋण

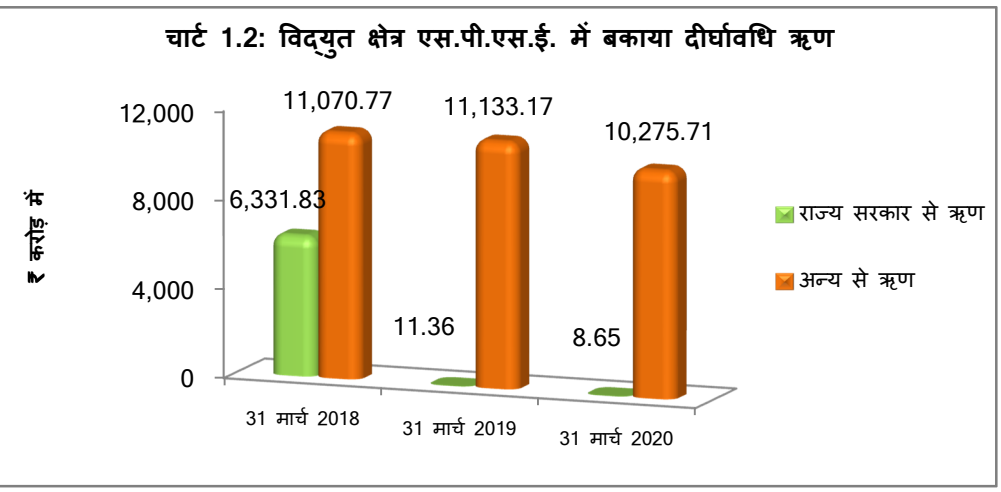

[8] पैराग्राफ संख्या 2.4.3.2 (v) - हरियाणा सरकार के 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना का कार्यान्वयन भी संदर्भित करता है।

1.2.2.2 ऋण देयताओं को पूरा करने के लिए परिसंपत्तियों की पर्याप्तता

कुल परिसंपत्तियों से कुल ऋण का अनुपात यह निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधियों में से एक है कि क्या कोई कंपनी शोधन-क्षम रह सकती है। शोधन-क्षम माने जाने हेतु किसी इकाई की संपत्ति का मूल्य उसके ऋणों/उधारों की राशि से अधिक होना चाहिए। विद्युत क्षेत्र के चार एस.पी.एस.ई., जिनके पास 31 मार्च 2020 तक बकाया ऋण थे, में कुल परिसंपत्तियों के मूल्य द्वारा दीर्घावधि ऋणों का कवरेज तालिका 1.5 में दिया गया है।

तालिका 1.5: कुल परिसंपत्तियों के साथ दीर्घावधि ऋण का कवरेज

एस.पी.एस.ई. के नाम	परिसंपत्तियां (₹ करोड़ में)	दीर्घावधि ऋण (₹ करोड़ में)	ऋण हेतु परिसंपत्तियों के अनुपात
हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड (एच.पी.जी.सी.एल.)	7,874.14	573.64	13.73:1
हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (एच.वी.पी.एन.एल.)	11,177.08	4,339.71	2.58:1
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डी.एच.बी.वी.एन.एल.)	11,435.49	3,064.26	3.73:1
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यू.एच.बी.वी.एन.एल.)	9,035.64	2,298.10	3.93:1

स्रोत: एस.पी.एस.ई. द्वारा अंतिमकृत लेखाओं पर आधारित संकलन।

कुल परिसंपत्तियों का मूल्य सभी चार एस.पी.एस.ई. में बकाया ऋण से अधिक था।

1.2.2.3 ब्याज कवरेज

ब्याज कवरेज अनुपात का उपयोग किसी कंपनी की बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता निर्धारित करने के लिए किया जाता है और इसकी गणना ब्याज और करों से पहले कंपनी की कमाई (ई.बी.आई.टी.) को उसी अवधि के ब्याज खर्चों से विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होता है, कंपनी की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता उतनी ही कम होती है। एक से नीचे का ब्याज कवरेज अनुपात इंगित करता है कि कंपनी ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व सृजित नहीं कर रही थी। 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान एस.पी.एस.ई. के ब्याज कवरेज अनुपात के विवरण तालिका 1.6 में दिए गए हैं:

तालिका 1.6: विद्युत क्षेत्र एस.पी.एस.ई. में ब्याज कवरेज अनुपात

एस.पी.एस.ई. के नाम	2017-18			2018-19			2019-20		
	ब्याज लागत (₹ करोड़ में)	ई.बी.आई.टी. (₹ करोड़ में)	ब्याज कवरेज अनुपात	ब्याज लागत (₹ करोड़ में)	ई.बी.आई.टी. (₹ करोड़ में)	ब्याज कवरेज अनुपात	ब्याज लागत (₹ करोड़ में)	ई.बी.आई.टी. (₹ करोड़ में)	ब्याज कवरेज अनुपात
एच.पी.जी.सी.एल.	306.72	629.60	2.05	252.89	1003.76	3.97	183.41	457.63	2.50
एच.वी.पी.एन.एल.	430.58	964.83	2.24	381.51	838.64	2.20	379.98	600.55	1.58
यू.एच.बी.वी.एन.एल.	1156.48	1434.72	1.24	885.85	1071.56	1.21	606.42	824.14	1.36
डी.एच.बी.वी.एन.एल.	779.91	914.03	1.17	541.74	636.97	1.18	351.96	465.63	1.32

स्रोत: एस.पी.एस.ई. द्वारा अंतिमकृत लेखाओं पर आधारित संकलन।

यह देखा गया कि सभी विद्युत क्षेत्र एस.पी.एस.ई. का औसत ब्याज कवरेज अनुपात एक से अधिक था जो इन एस.पी.एस.ई. में दिवालियापन के कम जोखिम को इंगित करता है।

1.2.2.4 राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज

राज्य सरकार के ऋणों पर ब्याज का कोई अतिदेय भुगतान नहीं था।

1.3 सरकारी कंपनियों में निवेश पर रिटर्न

1.3.1 विद्युत क्षेत्र एस.पी.एस.ई. द्वारा अर्जित लाभ

विद्युत क्षेत्र के सभी चार एस.पी.एस.ई. ने 2018-19 और 2019-20 में लाभ अर्जित किया। हालांकि, अर्जित लाभ 2018-19 में ₹ 687.91 करोड़ से घटकर 2019-20 में ₹ 640.52 करोड़ हो गया। 2018-19 के दौरान धनात्मक निवल मूल्य वाले दो[9] एस.पी.एस.ई. के संबंध में इक्विटी पर रिटर्न[10] (आर.ओ.ई.) 5.63 प्रतिशत था। 2019-20 के दौरान, सभी चार एस.पी.एस.ई. का निवल मूल्य धनात्मक था और उनका आर.ओ.ई. 7.82 प्रतिशत था। विद्युत क्षेत्र के एस.पी.एस.ई. के सारांशित वित्तीय परिणाम ***परिशिष्ट 1 ए*** में दर्शाए गए हैं। 2017-20 की अवधि के दौरान धनात्मक निवल मूल्य वाले विद्युत क्षेत्र एस.पी.एस.ई. का निष्पादन और इक्विटी पर उनके रिटर्न चार्ट-1.3 में दर्शाए गए हैं:

चार्ट 1.3: गत 3 वर्षों के दौरान सकारात्मक निवल मूल्य वाले एस.पी.एस.ई. की संख्या और उनका आर.ओ.ई.

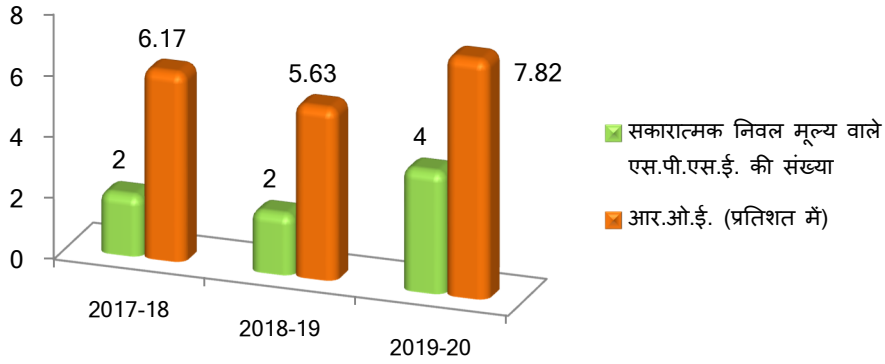

2018-19 के दौरान लाभ के एस.पी.एस.ई. वार योगदान को तालिका 1.7 में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 1.7: 2019-20 के दौरान विद्युत क्षेत्र एस.पी.एस.ई. द्वारा अर्जित लाभ में गतिविधि-वार योगदान

गतिविधि	एस.पी.एस.ई. का नाम	अर्जित निवल लाभ (₹ करोड़ में)	कुल विद्युत क्षेत्र एस.पी.एस.ई.लाभ से लाभ की प्रतिशतता
उत्पादन	एच.पी.जी.सी.एल.(ए)	247.76	38.68
प्रसारण	एच.वी.पी.एन.एल.(बी)	61.37	9.58
वितरण	यू.एच.बी.वी.एन.एल.	217.72	33.99
	डी.एच.बी.वी.एन.एल.	113.67	17.75
उप-योग (सी)		**331.39**	**51.74**
कुल योग (ए+बी+सी)		**640.52**	

स्रोत: एस.पी.एस.ई. द्वारा अंतिमकृत लेखाओं पर आधारित संकलन।

2019-20 के दौरान, विद्युत क्षेत्र के एस.पी.एस.ई. के ₹ 640.52 करोड़ के कुल लाभ का 51.74 प्रतिशत संघटित करते हुए ₹ 331.39 करोड़ के निवल लाभ का योगदान वितरण में

[9] एच.पी.जी.सी.एल. तथा एच.वी.पी.एन.एल.।

[10] इक्विटी पर रिटर्न = (कर/इक्विटी के बाद निवल लाभ) x 100, जहां इक्विटी = प्रदत्त पूंजी + मुक्त संचय - संचित हानियां - आस्थगित राजस्व व्यय।

लगे एस.पी.एस.ई. (यू.एच.बी.वी.एन.एल. और डी.एच.बी.वी.एन.एल.) द्वारा दिया गया था, जबकि 2018-19 में उन कंपनियों द्वारा 40.84 प्रतिशत का योगदान दिया गया था।

1.3.2 विद्युत क्षेत्र के एस.पी.एस.ई. द्वारा लाभांश का भुगतान

2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान, सभी विद्युत क्षेत्र एस.पी.एस.ई. ने ₹ 61.37 करोड़ और ₹ 278.24 करोड़ के मध्य लाभ अर्जित किया। इस अवधि के दौरान चार विद्युत क्षेत्र एस.पी.एस.ई. में राज्य सरकार की इक्विटी होल्डिंग, अर्जित लाभ और लाभांश भुगतान को तालिका 1.8 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.8: 2017-18 से 2019-20 के दौरान विद्युत क्षेत्र एस.पी.एस.ई. का लाभांश भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल एस.पी.एस.ई. जहां हरियाणा सरकार द्वारा इक्विटी लगाई गई		एस.पी.एस.ई. जिन्होंने लाभ अर्जित किया		एस.पी.एस.ई. जिन्होंने लाभांश घोषित/ प्रदत्त किया		लाभांश भुगतान अनुपात (प्रतिशत में)
	एस.पी.एस.ई. की संख्या	हरियाणा सरकार द्वारा इक्विटी	एस.पी.एस.ई. की संख्या	अर्जित लाभ	एस.पी.एस.ई. की संख्या	घोषित/ प्रदत्त लाभांश	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)=(vii)/(v)*100
2017-18	4	16,001.00	4	794.66	-	-	-
2018-19	4	29,303.48	4	687.91	-	-	-
2019-20	4	35,128.49	4	640.52	-	-	-

स्रोत: एस.पी.एस.ई. द्वारा अंतिमकृत लेखाओं पर आधारित संकलन।

नवीनतम अंतिमकृत लेखाओं के अनुसार, 2019-20 के दौरान चार कार्यरत विद्युत क्षेत्र एस.पी.एस.ई. ने ₹ 640.52 करोड़ (ब्याज और करों के बाद) का संचयी लाभ अर्जित किया। हालांकि, एच.पी.जी.सी.एल. और एच.वी.पी.एन.एल. इसके अतिरिक्त, 2019-20 के दौरान क्रमश: ₹ 247.76 करोड़ और ₹ 61.37 करोड़ का निवल लाभ कमा रहे हैं, ने 31 मार्च 2020 तक क्रमशः ₹ 409.23 करोड़ और ₹ 498.27 करोड़ की राशि के लाभ संचित किए।

राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति तैयार की (अक्तूबर 2003) जिसके अंतर्गत सभी राज्य एस.पी.एस.ई. को राज्य सरकार की प्रदत्त शेयर पूंजी पर न्यूनतम चार प्रतिशत रिटर्न का भुगतान करना अपेक्षित था। इस प्रकार, संचित लाभ होने के बावजूद, जिसका उपयोग लाभांश का भुगतान करने के लिए किया जा सकता था, एच.पी.जी.सी.एल. और एच.वी.पी.एन.एल. ने कोई लाभांश घोषित नहीं किया जिसके कारण वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य सरकार की लाभांश नीति का अनुपालन नहीं हुआ।

यह सिफारिश की जाती है कि राज्य सरकार निदेशक मंडल में अपने नामितों के माध्यम से मामले को उठाए।

1.3.3 विद्युत क्षेत्र एस.पी.एस.ई. की इक्विटी पर रिटर्न

इक्विटी पर रिटर्न (आर.ओ.ई.) कंपनियों के वित्तीय निष्पादन का उपाय है, जिसकी गणना कंपनी की निवल आय को शेयरधारकों की इक्विटी से विभाजित करके की जाती है। 2019-20 के दौरान विद्युत क्षेत्र एस.पी.एस.ई. के गतिविधि-वार आर.ओ.ई. को तालिका 1.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.9: इक्विटी पर गतिविधि-वार रिटर्न

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	गतिविधि का नाम	2017-18 के दौरान आर.ओ.ई.	2018-19 के दौरान आर.ओ.ई.	2019-20 के दौरान आर.ओ.ई.
1	उत्पादन	7.79	6.54	7.08
2	प्रसारण	4.68	4.91	1.41
3	वितरण	-	-	101.92

स्रोत: एस.पी.एस.ई. द्वारा अंतिमकृत लेखाओं पर आधारित संकलन।

2017-18 और 2018-19 के दौरान वितरण गतिविधि के संबंध में आर.ओ.ई. की गणना नहीं की गई थी क्योंकि दो वर्षों में दोनों वितरण कंपनियों का निवल मूल्य ऋणात्मक था। इसके अतिरिक्त, वितरण गतिविधि के संबंध में 2019-20 में असाधारण उच्च आर.ओ.ई. उदय योजना के अंतर्गत दोनों वितरण कंपनियों में राज्य सरकार द्वारा इक्विटी निवेश के कारण था, जिसकी वजह से इन कंपनियों का निवल मूल्य धनात्मक निकला।

1.4 विद्युत क्षेत्र एस.पी.एस.ई. की परिचालन क्षमता

1.4.1 उत्पादन का मूल्य

तीन वर्षों की अवधि में चार विद्युत क्षेत्र एस.पी.एस.ई. के उत्पादन, कुल परिसंपत्तियों और नियोजित पूंजी[11] को इंगित करने वाला सार चार्ट 1.4 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.4: उत्पादन का मूल्य, परिसंपत्तियां और नियोजित पूंजी

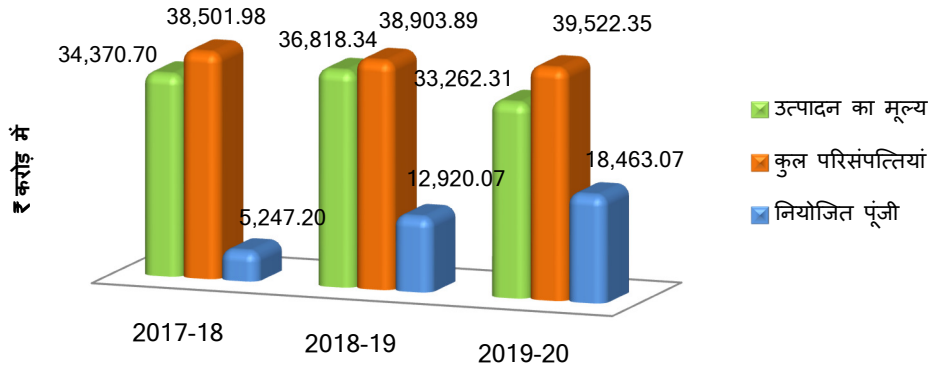

गत तीन वर्षों के दौरान विद्युत क्षेत्र एस.पी.एस.ई.-वार उत्पादन का मूल्य, कुल परिसंपत्तियों और नियोजित पूंजी के विवरण तालिका 1.10 में दिए गए हैं।

तालिका 1.10: एस.पी.एस.ई.-वार उत्पादन का मूल्य, कुल परिसंपत्तियां और नियोजित पूंजी

(₹ करोड़ में)

एस.पी.एस.ई. का नाम	उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपतियां	नियोजित पूंजी
2017-18			
एच.पी.जी.सी.एल.	5,277.48	7,886.55	4,787.39
एच.वी.पी.एन.एल.	2,006.57	10,751.82	7,847.40
यू.एच.बी.वी.एन.एल.	13,686.52	9,834.44	(-)3,972.85
डी.एच.बी.वी.एन.एल.	13,400.13	10,029.17	(-)3,414.74

[11] नियोजित पूंजी= प्रदत्त पूंजी + मुक्त संचय + दीर्घावधि ऋण - संचित हानियां - आस्थगित राजस्व व्यय।

एस.पी.एस.ई. का नाम	उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपतियां	नियोजित पूंजी
2017-18			
कुल	**34,370.70**	**38,501.98**	**5,247.20**
2018-19			
एच.पी.जी.सी.एल.	5,462.60	7,780.53	4,422.83
एच.वी.पी.एन.एल.	2,154.41	10,968.78	8,601.12
यू.एच.बी.वी.एन.एल.	14,165.20	9,487.17	(-)422.44
डी.एच.बी.वी.एन.एल.	15,036.13	10,667.41	318.56
कुल	**36,818.34**	**38,903.89**	**12,920.07**
2019-20			
एच.पी.जी.सी.एल.	4,206.60	7,874.14	4,074.23
एच.वी.पी.एन.एल.	1,640.67	11,177.08	8,701.33
यू.एच.बी.वी.एन.एल.	13,447.41	9,035.64	2,480.42
डी.एच.बी.वी.एन.एल.	13,967.63	11,435.49	3,207.09
कुल	**33,262.31**	**39,522.35**	**18,463.07**

स्रोत: एस.पी.एस.ई. द्वारा अंतिमकृत लेखाओं पर आधारित संकलन।

इस अवधि के दौरान उत्पादन के मूल्य में कमी मुख्य रूप से एच.पी.जी.सी.एल. की उत्पादन इकाइयों[12] को उनके द्वारा उत्पन्न बिजली की कम मांग के कारण उत्पादन कम करने का आदेश देने के कारण हुई।

1.4.2 नियोजित पूंजी पर रिटर्न

नियोजित पूंजी पर रिटर्न (आर.ओ.सी.ई.) एक अनुपात है जो किसी कंपनी की लाभप्रदता और उस दक्षता को मापता है जिसके साथ उसकी पूंजी नियोजित है। आर.ओ.सी.ई. की गणना कंपनी की ब्याज और करों से पहले आय (ई.बी.आई.टी.) को नियोजित पूंजी द्वारा विभाजित करके की जाती है। 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान विद्युत क्षेत्र एस.पी.एस.ई. के आर.ओ.सी.ई. के विवरण तालिका 1.11 में दिए गए हैं।

तालिका 1.11: नियोजित पूंजी पर रिटर्न

वर्ष	ई.बी.आई.टी. (₹ करोड़ में)	नियोजित पूंजी (₹ करोड़ में)	आर.ओ.सी.ई. (प्रतिशत में)
2017-18	3,943.18	5,247.20	75.15
2018-19	3,550.93	12,920.07	27.48
2019-20	2,347.95	18,463.07	12.72

स्रोत: एस.पी.एस.ई. द्वारा अंतिमकृत लेखाओं पर आधारित संकलन।

2017-18 के दौरान विद्युत क्षेत्र एस.पी.एस.ई. का आर.ओ.सी.ई. मुख्य रूप से (i) राज्य सरकार द्वारा डिस्कॉम्ज के ऋण लेने के कारण कम ब्याज बोझ के कारण उच्च ई.बी.आई.टी. और (ii) उदय योजना के अंतर्गत राज्य सरकार से इक्विटी की प्राप्ति के परिणामस्वरूप 75.15 प्रतिशत अधिक था। हालांकि, राज्य सरकार द्वारा अनुदान/ऋण को इक्विटी में बदलने के कारण 2018-19 और 2019-20 में इसमें कमी आई। एच.पी.जी.सी.एल. की उत्पादन इकाइयों में बिजली उत्पादन में कमी ने 2019-20 के दौरान आर.ओ.सी.ई. को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले विद्युत क्षेत्र के एस.पी.एस.ई. के ई.बी.आई.टी. को भी प्रभावित किया।

[12] एच.पी.जी.सी.एल. द्वारा उत्पादित यूनिट्स, जो 2017-18 और 2018-19 के दौरान क्रमशः 10,901.51 एम.यू. और 10,806.67 एम.यू. थीं, 2019-20 के दौरान घटकर 7,345.52 एम.यू. हो गई।

1.4.3 निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर रिटर्न

31 मार्च 2020 तक प्रत्येक वर्ष के अंत में निवेश की ऐतिहासिक लागत को इसके वर्तमान मूल्य (वर्तमान मूल्य) में लाने के उद्देश्य से विद्युत क्षेत्र के एस.पी.एस.ई. में राज्य सरकार द्वारा निवेश किए गए गत निवेशों/वर्ष-वार निधियों की गणना निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर की गई थी:

- राज्य सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र एस.पी.एस.ई. में परिचालनात्मक, प्रशासनिक खर्चों के लिए इक्विटी एवं अनुदानों/सब्सिडी के रूप में वास्तविक निवेश को राज्य सरकार द्वारा निवेश के रूप में माना गया है।
- जहां विद्युत क्षेत्र एस.पी.एस.ई. को ब्याज मुक्त ऋण दिया गया था और बाद में इक्विटी में बदल दिया गया था, इक्विटी में परिवर्तित ऋण की राशि को ब्याज मुक्त ऋण की राशि से घटा दिया गया है और उस वर्ष की इक्विटी में जोड़ दिया गया है।
- संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर को वर्तमान मूल्य पर पहुंचने के लिए मिश्रित दर के रूप में अपनाया गया था क्योंकि वे वर्ष के लिए निधियों के निवेश की दिशा में सरकार द्वारा वहन की गई लागत का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए इसे सरकार द्वारा किए गए निवेश पर रिटर्न की न्यूनतम अपेक्षित दर माना जाता है।
- राज्य सरकार के निवेश की वर्तमान मूल्य गणना के उद्देश्य से चार विद्युत क्षेत्र एस.पी.एस.ई. में राज्य सरकार के निवेश पर विचार करने स्थापना से 2019-20 तक की अवधि ली गई है।

स्थापना से 2019-20 तक विद्युत क्षेत्र के एस.पी.एस.ई. में इक्विटी और अनुदान/सब्सिडी के रूप में राज्य सरकार के निवेश के विवरण (ब्याज मुक्त ऋण और विनिवेश के कोई दृष्टांत नहीं थे) के साथ-साथ विद्युत क्षेत्र के एस.पी.एस.ई. में राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की समेकित स्थिति को तालिका 1.12 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.12: 1999-2000 से 2019-20 तक सरकारी निवेश का वर्तमान मूल्य (वास्तविक रिटर्न)

(₹ करोड़ में)

वित्त वर्ष	वर्ष के आरंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेशित इक्विटी	परिचालन एवं प्रशासनिक व्यय के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान/ सब्सिडी	वर्ष के दौरान कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश	सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	न्यूनतम अपेक्षित रिटर्न	वर्ष की कुल कमाई	निवेश पर रिटर्न (प्रतिशत में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (3)+(4)	(6)=(2)+(5)	(7)	(8)=(6)x(7)/ 100)+(6)	(9)=(6)x (7)/100)	(10)	(11)=(10)/ (8)*100
1999-2000		448.11	0.00	448.11	448.11	12.05	502.11	54.00	-445.55	-
2000-01	502.11	265.00	0.00	265.00	767.11	11.40	854.56	87.45	-221.63	-
2001-02	854.56	38.71	0.00	38.71	893.27	10.50	987.06	93.79	-182.55	-
2002-03	987.06	97.36	10.62	107.98	1,095.04	10.74	1,212.65	117.61	26.48	2.18
2003-04	1,212.65	112.27	64.24	176.51	1,389.16	10.20	1,530.85	141.69	239.68	15.66
2004-05	1,530.85	162.93	0.19	163.12	1,693.97	8.49	1,837.79	143.82	-371.08	-
2005-06	1,837.79	359.29	0.00	359.29	2,197.08	8.95	2,393.72	196.64	-377.65	-

वित्त वर्ष	वर्ष के आरंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेशित इक्विटी	परिचालन एवं प्रशासनिक व्यय के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान/ सब्सिडी	वर्ष के दौरान कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश	सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	न्यूनतम अपेक्षित रिटर्न	वर्ष की कुल कमाई	निवेश पर रिटर्न (प्रतिशत में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (3)+(4)	(6)=(2)+(5)	(7)	(8)=(6)x(7)/ 100)+(6)	(9)=(6)x (7)/100)	(10)	(11)=(10)/ (8)*100
2006-07	2,393.72	777.80	0.00	777.80	3,171.52	9.20	3,463.30	291.78	-416.21	-
2007-08	3,463.30	930.16	0.00	930.16	4,393.46	7.43	4,719.89	326.43	-649.10	-
2008-09	4,719.89	855.72	0.00	855.72	5,575.61	7.82	6,011.63	436.01	-1246.50	-
2009-10	6,011.63	898.82	0.00	898.82	6,910.45	9.29	7,552.43	641.98	-1,460.84	-
2010-11	7,552.43	882.18	0.00	882.18	8,434.61	9.22	9,212.28	777.67	-592.08	-
2011-12	9,212.28	573.35	0.00	573.35	9,785.63	9.73	10,737.77	952.14	-10,194.30	-
2012-13	10,737.77	198.62	0.00	198.62	10,936.39	9.86	12,014.72	1,078.33	-3,833.76	-
2013-14	12,014.72	100.00	0.00	100.00	12,114.72	9.83	13,305.59	1,190.88	-3,849.89	-
2014-15	13,305.60	66.94	0.00	66.94	13,372.54	9.33	14,620.20	1,247.66	-3,453.86	-
2015-16	14,620.20	1,619.42	3,892.50	5,511.92	20,132.12	8.64	21,871.54	1,739.42	-2,017.26	-
2016-17	21,871.54	1,927.99	3,892.50	5,820.49	27,692.03	8.00	29,907.39	2,215.36	-7.91	-
2017-18	29,907.39	5,454.43	0.00	5,454.43	35,361.82	8.10	38,226.13	2,864.31	794.66	2.08
2018-19	30,441.13**	13,302.48	18.56	13,321.04	43,762.17	8.81	47,617.62	3,855.45	687.91	1.44
2019-20	47,617.62	5,825.00	0.00	5,825.00	53,442.62	8.31	57,883.70	4,441.08	640.52	1.11
कुल		**34,896.58**	**93.61#**	**34,990.19#**						

* एस.पी.एस.ई. को हस्तांतरित ₹ 231.90 करोड़ की प्रारंभिक संचित अवशिष्ट हानियों को घटाकर ₹ 680.01 करोड़ की इक्विटी डाली गई। कॉलम नंबर 3, 4 और 10 के संबंध में सूचना को संबंधित वर्षों के मुद्रित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संकलित किया गया है।

** आरंभिक शेष में ₹ 7,785 करोड़ का अंतर उदय योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान (2015-16 और 2016-17 के दौरान प्रत्येक वर्ष में ₹ 3,892.50 करोड़) के कारण था, जिसे वर्ष 2018-19 के दौरान इक्विटी में बदल दिया गया था क्योंकि इसका प्रभाव पहले से ही संबंधित वर्षों के अनुदान में लिया गया था।

कुल अनुदान में वर्ष 2018-19 के दौरान इक्विटी में परिवर्तित ₹ 7,785 करोड़ शामिल नहीं हैं।

इन चार कंपनियों में राज्य सरकार का निवेश शेष वर्ष 1999-2000 में ₹ 448.11 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2019-20 के अंत में ₹ 34,990.19 करोड़ हो गया (इक्विटी का निवेश ₹ 680.01 करोड़ घटा ₹ 231.90 करोड़ का प्रारंभिक अवशिष्ट संचित घाटा) क्योंकि राज्य सरकार ने इक्विटी और अनुदान/सब्सिडी के रूप में ₹ 34,542.08 करोड़ के और निवेश किए। 31 मार्च 2020 तक राज्य सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य ₹ 57,883.70 करोड़ परिगणित किया गया।

इन कंपनियों के लिए वर्ष 1999-2000 से 2001-02 और 2004-05 से 2016-17 तक की कुल आय नकारात्मक थी जो इंगित करती है कि सरकार अपनी निधियों की लागत की वसूली नहीं कर सकी। हालांकि, 2017-18 से 2019-20 के दौरान सकारात्मक कुल कमाई हुई थी लेकिन वह न्यूनतम अपेक्षित रिटर्न से काफी कम थी। गत तीन वर्षों अर्थात् 2017-18 से 2019-20 के लिए निवेश के वर्तमान मूल्य पर रिटर्न, जो सकारात्मक हो गया था, 2.08 और 1.11 के मध्य था, जो कि मुख्य रूप से उदय योजना के अंतर्गत धन के प्रवाह के कारण था।

गत तीन वर्षों की इसी अवधि के दौरान ऐतिहासिक लागत[13] के आधार पर निवेश पर रिटर्न की दर 3.36 और 1.83 प्रतिशत के मध्य थी।

उदय स्कीम का कार्यान्वयन

1.4.4 उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) योजना के कार्यान्वयन की स्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

क. परिचालन मापदंडों की उपलब्धि

दो राज्य डिस्कॉम्ज से संबंधित विभिन्न परिचालन मापदंडों के संबंध में उदय स्कीम के अंतर्गत उपलब्धियों की तुलना में लक्ष्य निम्नानुसार हैं:

तालिका 1.13: 31 मार्च 2020 तक मानदंड-वार उपलब्धियों की तुलना में परिचालनात्मक निष्पादन के लक्ष्य

उदय स्कीम का मानदंड	उदय स्कीम के अंतर्गत लक्ष्य	उदय स्कीम के अंतर्गत प्रगति	उपलब्धि (प्रतिशत में)
फीडर मीटरिंग (संख्या में)			
शहरी	1,365	1,509	110.55
ग्रामीण	1,621	1,992	122.89
वितरण ट्रांसफार्मर पर मीटरिंग (संख्या में)			
शहरी	2,79,420	32,997	11.81
ग्रामीण	4,78,120	32,195	6.73
फीडर पृथक्करण (संख्या में)	3,536	4,171	117.96
ग्रामीण फीडर लेखापरीक्षा (संख्या में)	1,621	1,992	122.89
असंबद्ध घर को बिजली (संख्या लाख में)	49,18,000	23,69,807	48.19
500 के.डब्ल्यू.एच. से ऊपर स्मार्ट मीटरिंग (संख्या में)	4,31,797	1,35,277	10.78
200 के.डब्ल्यू.एच. से ऊपर तथा 500 के.डब्ल्यू.एच. तक स्मार्ट मीटरिंग (संख्या में)	8,22,747		
एल.ई.डी. उजाला का वितरण (संख्या में)	214	158.82	74.21
ए.टी. एंड सी. हानि (प्रतिशत में)	15	15.65 से 20.10	
ए.सी.एस.-ए.आर.आर. अंतर (₹ प्रति यूनिट)	0.02	-0.04 से 0.12	
परिदान सहित निवल आय या लाभ/हानि (₹ करोड़ में)		331.39	

स्रोत: दोनों डिस्कॉम्ज द्वारा प्रदान की गई सूचना।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफॉर्मरों (डी.टी.) में मीटरिंग जैसे कुछ मानकों में राज्य का निष्पादन उत्साहजनक नहीं था। स्मार्ट मीटर लगाने के कार्य की प्रगति भी उत्साहजनक नहीं थी क्योंकि उपलब्धि लक्ष्य का केवल 10.78 प्रतिशत थी, जबकि फीडर पृथक्करण और फीडर मीटरिंग के क्षेत्रों में निष्पादन उत्कृष्ट रहा। वर्ष 2018-19 तक कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (ए.टी. एंड सी.) हानि को 15 प्रतिशत तक सीमित करने का लक्ष्य मार्च 2020 तक, जब ए.टी. एंड सी. हानि क्रमशः 15.65 प्रतिशत और 20.10 प्रतिशत थी, डी.एच.बी.वी.एन.एल. और यू.एच.बी.वी.एन.एल. द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सका। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने 31 दिसंबर 2020 तक उदय स्कीम के अंतर्गत दो राज्य डिस्कॉम्ज

[13] एक वर्ष के लिए निवेश की ऐतिहासिक लागत, परिचालन और प्रशासनिक व्यय के लिए इक्विटी और अनुदान/सब्सिडी के रूप में राज्य सरकार द्वारा डाली गई कुल राशि है।

द्वारा की गई समग्र उपलब्धियों के आधार पर सभी राज्यों के मध्य राज्य को पांचवां स्थान दिया था।

ख. वित्तीय बदलाव का कार्यान्वयन

भाग लेने वाले राज्यों को 30 सितंबर 2015 तक डिस्कॉम के बकाया ऋण का 75 प्रतिशत, अर्थात् 2015-16 में 50 प्रतिशत और 2016-17 में 25 प्रतिशत लेना अपेक्षित था। इस योजना में राज्यों को नॉन-एस.एल.आर. बांड जारी करने का भी प्रावधान है और ऐसे बांडों को जारी करने से प्राप्त आय को डिस्कॉम्ज को हस्तांतरित किया जाएगा जो बदले में बैंकों/वित्तीय संस्थानों के ऋण के लिए संबंधित राशि का निर्वहन करेंगे। इस प्रकार जारी किए गए बांडों की परिपक्वता अवधि 10-15 वर्ष होगी और मूलधन के पुनर्भुगतान पर पांच वर्ष तक की मोहलत होगी। 2015-16 और 2016-17 में राज्य द्वारा डिस्कॉम्ज को हस्तांतरण एक अनुदान होगा जो कि डिस्कॉम को राज्य ऋण के माध्यम से शेष हस्तांतरण के साथ तीन वर्षों में फैलाया जा सकता है। असाधारण मामलों में, 25 प्रतिशत अनुदान इक्विटी के रूप में दिया जा सकता है।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, हरियाणा सरकार और राज्य डिस्कॉम (अर्थात् यू.एच.बी.वी.एन.एल. और डी.एच.बी.वी.एन.एल.) के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए गए (11 मार्च 2016)। उदय स्कीम और त्रिपक्षीय एम.ओ.यू. के प्रावधानों के अनुसार, 30 सितंबर 2015 को राज्य के दो डिस्कॉम से संबंधित कुल बकाया ऋण (₹ 34,600 करोड़) में से हरियाणा सरकार ने 2015-17 की अवधि के दौरान कुल ऋण का 75 प्रतिशत अर्थात् ₹ 25,950 करोड़ लिया।

एम.ओ.यू. के अनुसार हरियाणा सरकार द्वारा लिया गया ₹ 25,950 करोड़ का ऋण अंततः 2015-16 से आरंभ पांच साल की अवधि के लिए वार्षिक रूप से ₹ 3,892.50 करोड़ के अनुदान और ₹ 1,297.50 करोड़ की इक्विटी में परिवर्तित किया जाना था। इस प्रकार, 2019-20 के अंत में हरियाणा सरकार के पास ₹ 6,487.50 करोड़ (₹ 1,297.50 करोड़ x 5) की इक्विटी होगी और ₹ 19,462.50 करोड़ (₹ 3,892.50 करोड़ x 5) अनुदान के माध्यम से डिस्कॉम को दिए जाएंगे।

यद्यपि, योजना का वास्तविक कार्यान्वयन नीचे विस्तृत रूप में दिया गया है:

तालिका 1.14: उदय स्कीम का कार्यान्वयन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	इक्विटी निवेश	ऋण	अनुदान	कुल
2015-16	1,297.50	12,110.00	3,892.50	**17,300.00**
2016-17	1,297.50	3,460.00	3,892.50	**8,650.00**
कुल	**2,595.00**	**15,570.00**	**7,785.00**	**25,950.00**
2017-18	5,190.00	-5,190.00	0.00	**0.00**
2018-19	12,975.00	-5,190.00	-7,785.00	**0.00**
2019-20	5,190.00	-5,190.00	0.00	**0.00**
31 मार्च 2020 को	**25,950.00**	**0.00**	**0.00**	**25,950.00**

स्रोतः राज्य सरकार से प्राप्त संस्वीकृतियों के आधार पर संकलन।

यह देखा गया था कि राज्य सरकार ने उदय योजना और समझौता ज्ञापन के प्रावधानों का पालन नहीं किया। 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान प्रत्येक वर्ष प्राप्त ₹ 5,190 करोड़ के ऋणों को 3:1 के अनुपात में अनुदान और इक्विटी के मध्य विभाजित करने के बजाय इक्विटी में परिवर्तित किया गया था। इसके अतिरिक्त, 2015-16 और 2016-17 के दौरान उदय योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए ₹ 7,785 करोड़ के अनुदान को 2018-19 के दौरान इक्विटी में परिवर्तित किया गया था।

परिणामत:, हरियाणा सरकार ने ₹ 6,487.50 करोड़ की स्वीकृत सीमा से अधिक इक्विटी में ₹ 19,462.50 करोड़ का निवेश किया। आगे, अनुदान को कम करके शून्य कर देना भी उदय योजना की अधिसूचना के विरुद्ध था।

डिस्कॉम्ज ने अन्य वित्तीय संस्थानों और बैंकों को देय ऋण देयता का निर्वहन करने के लिए उदय स्कीम के अंतर्गत हरियाणा सरकार द्वारा दिए गए ऋण पर अक्तूबर 2015 से मार्च 2020 की अवधि के लिए ₹ 3,061.12 करोड़ का ब्याज का भुगतान किया। हरियाणा सरकार द्वारा ऋण 8.06 एवं 8.21 प्रतिशत की ब्याज दर के साथ प्रतिवर्ष दिए गए थे।